



Neutral Citation No.- 2026:AHC:129063

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 भा.ना.सु.सं. के अधीन आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदनसंख्या-6157/2026

नवाज शरीफ एवं 6 अन्य

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता:

मुकुल यादव, राजेश यादव

विपक्षी के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अ.शा.अधि. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदकगण-नवाज शरीफ, आदिल खान, मोहम्मद रफी, शादाब खान, शब्बू खान, मेराजुल तथा श्रीमती आसिया बी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 60/2026, धारा 329(3), 318(2), 338, 336(2), 340(2) भा.न्या.सं., थाना-कोतवाली, जिला-रामपुर में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकगण पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उनका कोई लेना-देना नहीं है, इसके बाद भी पुलिस आवेदकगण को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त शुभम सिंघल द्वारा दिनांक 17.04.2025 को आवेदकगण के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था। आवेदकगण विवादित भूमि के सद्भावी क्रेता हैं। नगर पालिका परिषद ने दिनांक 07.05.2026 को आवेदकगण तथा सह-अभियुक्त शुभम सिंघल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथ्य होने के बाद भी कि विवादित भूमि के संबंध में सिविल कार्यवाही पहले से ही चल रही थी। विवादित संपत्ति अभी भी राजस्व और सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त शुभम सिंघल ने आपराधिकप्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 5311/2026 दाखिल किया था जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 29.05.2026 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि वे सद्भावी क्रेता हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे जांच तथा विचारण की अवधि में सहयोग करने का वचन देते हैं और अन्वेषण एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक हो, उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदकगण को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे तथा न्यायालय द्वारा लगाई जा सकने वाली सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान अ.शा.अधि. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, तथापि वे तथ्यात्मक पहलू का खंडन नहीं करते।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों को देखते हुए, यह न्यायालय इस राय का है कि आवेदक ने समानता के आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनाया है।
6. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-
 - (i) उक्त प्रकरण में शामिल आवेदकगण-नवाज शरीफ, आदिल खान, मोहम्मद रफी, शादाब खान, शब्बू खान, मेराजुल तथा श्रीमती आसिया बी की गिरफ्तारी की स्थिति में, संबंधित थाने के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो जमानतदारों सहित 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर सक्षम न्यायालय के समक्ष विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा;
 - (ii) आवेदकगण जांच के दौरान अन्वेषण अधिकारी को सहयोग देंगे और जांच करने के प्रयोजन के लिए जब भी आवश्यक हो अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे;
 - (iii) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्य बताने से रोकने के लिए कोई



प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे; तथा

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन या दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/अन्वेषण अधिकारी/प्रथम सूचनादाता-परिवादी को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने हेतु उचित आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

24 जून, 2026

कीर्ति